उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या- 63/2018/1521/92-2-18-31जांच/2018
लखनऊ:: दिनांक:: 18 जून, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-भदोही के कार्यकाल के दौरान अपना स्थानान्तरण जनपद वाराणसी कराने हेतु बाह्य/राजनैतिक दबाव डलवाने का प्रयास करने के कारण उ0प्र0 सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 के नियम-27 का उल्लंघन किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये पर उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत श्री के0सी0 श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-भदोही के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जॉच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल इलाहाबाद .को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच-आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफतेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-63 /2018/1521 (1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को मा0 मंत्रीजी के पत्र सं0-683/मंत्री/ग्रा0अ0वि0/2018 दिनांक 22.05.2018 एवं तत्संग संलग्न श्री अनिल राजभर, मा0 राज्य मंत्री, (स्वतंत्र प्रभार) सैनिक कल्याण, खादय प्रसंस्करण, होमगार्डस, प्रान्तीय रक्षक दल एवं नागरिक सुरक्षा विभाग का पत्र दिनांक 18.05.2018 की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित है कि श्री के0सी0 श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-भदोही के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही के विरूद्व आरोप पत्र गठित कर 03 दिन के अंदर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-इलाहाबाद ।
3- श्री के0सी0 श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-भदोही द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in